...-रानीवाड़ा/खुर्द

...:- धारा 251ए राज. काश्त. अधिनियम 1955 (संशोधित) 2010

...- 21/2019

...	हुक्म या कार्यवाही अज इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
...-19	प्रार्थी — ने अप्रार्थी उपरोक्त के विरूद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्कारी अधिनियत 1955 (संशोधित) 2010 के प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार रानीवाड़ा से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा	
...-19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा रिपोर्ट पत्रांक 5587 दिनांक 25.11.19 पर बहस सुनी गई। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा बहस में बताया कि प्रार्थी ने जहां रास्ता चाहा है उसमें प्रार्थी स्वयं सहखातेदार है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए RT Act 1955 की श्रेणी मे नही आता है। सहखातेदार न्यायालय के धारा 53 RT Act 1955 के तहत बंटवाड़ा कर रास्ता प्राप्त कर सकता है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी स्वयं सहखातेदार होते हुए (हस्ताक्षर)	

cont.---

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तारीख में जारी
	रास्ता चालू रखा की प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का संयोजन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना आदेश 1 नियम 9 सीविल प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकारो का संयोजन आवश्यक नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करे।	
	उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा	
	निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.25 16:03:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: